दां०प्र०क्र० 1005/2022 शासन वि० देवनारायण सारथी

Witness No.–––01**–––for –––अभियोजन साक्षी ...Deposition**

taken the 08/04/2026**..day of –** बुधवार**––––**

Witness apparent age- 45 वर्ष **––States on affirmaton.** शपथपत्र

My name is– मनहरण पाल **s/of –** बुधियार पाल

occupion –––––––कृषक**––––**

Address. ग्राम–जोरातराई, थाना–भखारा, जिला–धमतरी छ०ग०।

––

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित अभियुक्त देवनारायण सारथी का फोटो दिखाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैं अभियुक्त को जानता पहचानता नहीं हूं । मैं प्रार्थी मनीष कुमार साहू को जानता पहचानता नहीं हूं । उक्त अभियुक्त से पुलिस वालों ने क्या संपत्ति जप्ती की है इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैंने पुलिस वालों के कहने पर कुछ कागजातों में थाना भखारा में हस्ताक्षर किया था । मैंने घटना के संबंध में पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है ।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी श्री भूपेन्द्र डहरिया द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, जो कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाते है। प्रकरण के अवलोकन पश्चात् अभियोजन अधिकारी को प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान किया गया।

02. यह कहना गलत है कि दिनांक 20.09.2022 को ग्राम नारी में अभियुक्त देवनारायण सारथी ने अपने घर से निकालकर, प्रार्थी मनीष कुमार साहू के घर से चोरी हुये सोने–चांदी के जेवरात को संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 01 के अनुसार जप्त कराया था । यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने ग्राम नारी में ही अभियुक्त ने कई

अन्य जगहों से जो सोने–चांदी एवं पैसों की चोरी किया था उसे पुलिस वाले ने मेरे समक्ष जप्त किया था ।

03. यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त देवनारायण सारथी ने प्र.पी. 02 के अ से अ भाग का मेमोरण्डम कथन मैं ग्राम नारी .....चलो चलकर बरामद करा देता हूं, का कथन मेरे समक्ष दिया था । यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था उसके उपरांत मैंने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03 में अपना हस्ताक्षर किया था ।

04. साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 04 के अ से अ भाग का कथन "मैं उपरोक्त पते .....यही मेरा कथन है", को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया है । यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में सही कथन नहीं कर रहा हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मुकेश साहू वास्ते अभियुक्त :–</u>

05. कुछ नहीं ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

वाचित/स्वीकृत।

सही/–

(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला धमतरी (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद
जिला धमतरी (छ0ग0)

दां०प्र०क्र० 1005/2022 शासन वि० देवनारायण सारथी

Witness No.–––02**–––for –––अभियोजन साक्षी ...Deposition**

taken the 08/04/2026**..day of –** बुधवार**––––**

Witness apparent age- 56 वर्ष **––States on affirmaton.** शपथपत्र

My name is– चरण साहू **s/of –** स्व. सोनू साहू

occuption –––––––कृषक**––––**

Address. ग्राम–जोरातराई, थाना–भखारा, जिला–धमतरी छ०ग०।

––

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित अभियुक्त देवनारायण सारथी का फोटो दिखाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैं अभियुक्त को जानता पहचानता नहीं हूं । मैं प्रार्थी मनीष कुमार साहू को जानता पहचानता नहीं हूं । उक्त अभियुक्त से पुलिस वालों ने क्या संपत्ति जप्ती की है इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैंने पुलिस वालों के कहने पर कुछ कागजातों में थाना भखारा में हस्ताक्षर किया था । मैंने घटना के संबंध में पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है ।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी श्री भूपेन्द्र डहरिया द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, जो कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाते है। प्रकरण के अवलोकन पश्चात् अभियोजन अधिकारी को प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान किया गया।

02. यह कहना गलत है कि दिनांक 20.09.2022 को ग्राम नारी में अभियुक्त देवनारायण सारथी ने अपने घर से निकालकर, प्रार्थी मनीष कुमार साहू के घर से चोरी हुये सोने–चांदी के जेवरात को संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 01 के अनुसार जप्त कराया था । यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने ग्राम नारी में ही अभियुक्त ने कई

अन्य जगहों से जो सोने–चांदी एवं पैसों की चोरी किया था उसे पुलिस वाले ने मेरे समक्ष जप्त किया था ।

03. यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त देवनारायण सारथी ने प्र.पी. 02 के अ से अ भाग का मेमोरण्डम कथन मैं ग्राम नारी .....चलो चलकर बरामद करा देता हूं, का कथन मेरे समक्ष दिया था । यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था उसके उपरांत मैंने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03 के ब से ब भागपर अपना हस्ताक्षर किया था ।

04. साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 05 के अ से अ भाग का कथन "मैं उपरोक्त पते .....यही मेरा कथन है", को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया है । यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में सही कथन नहीं कर रहा हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मुकेश साहू वास्ते अभियुक्त :–</u>

05. कुछ नहीं ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

वाचित/स्वीकृत।

सही/–

(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला धमतरी (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद
जिला धमतरी (छ0ग0)